मूल्य रू.200/–
टेंडर फार्म संख्या..........

राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालय उधोग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

विधुत कार्य के ठेके हेतु निविदा प्रारूप

संदर्भः आपकी निविदा दिनांक ....

1. निगम के उधोग भवन स्थित मुख्यालय (समस्त पुराना एवं नया भवन) के विधुत कार्य के रख रखाव हेतु दिनांक 19.02.2022 से 18.02.2024 तक (दो वर्ष हेतु) की अवधि हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

2. निविदा प्रस्तुत करने वाले फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार का नाम तथा डाक का पूर्ण पताः–

....

....

....

3. निविदा शुल्क की राशि रू.200/– नकद रसीद संख्या .... दिनांक .... के द्वारा जमा करादी गई है।

4. निविदा सूचना, जो कि दिनांक .... द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिए मैं/ फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तो को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के लिए मै/ फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार पूर्ण रूप से सहमत है। मैरे/हमारे द्वारा किये जाने वाले कार्य हेतु दरें निम्न प्रकार हैः–

विधुत कार्य हेतु लेबर की मासिक दर जिसमें विधुत संबंधित सामान निगम द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।	रू..................................... (अक्षरे रूपये .... मात्र प्रतिमाह)

5. आदेश प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् 19.02.2022 से हमारी फर्म द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया जावेगा। उक्त वर्णित दरें दिनांक 18.02.2024 तक वैध रहेगी।

6. धरोहर राशि टेण्डर मूल्य की 2 प्रतिशत राशि नकद/डिमाड ड्राफ्ट/रसीद संख्या...................................... .. दिनांक .... संलग्न है।

7. विधुत कार्य के कार्यानुभव से संबंधित दस्तावेज/सर्टिफिकेट संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर मोहर
दिनांक..

संलग्नः निविदा की शर्तें

राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालय उधोग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

विधुत कार्य की शर्ते

1 ठेके की अवधि दिनांक 19.02.2021 से 18.02.2023 तक (दो वर्ष हेतु) होगी एवं जब भी आपका ठेका समाप्त होगा तो आपको उस समय नये ठेकेदार को विधुत व्यवस्था सुचारू रूप से चलती अवस्था में संभलवाना होगा।

2 निविदादाता द्वारा जो इस कार्य में दक्ष हों या उनके द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है एवं जिस कार्य के लिए निविदा दी जा रही है उसका वास्तव में व्यवसाय किया जा रहा है इसके लिए जहां यह वर्तमान में कार्य कर रहा है अथवा पूर्व में कार्य किया है उसके कम से कम 3 वर्ष के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।

3 चयनित फर्म द्वारा उसके किसी भाग को ना तो किसी अन्य ऐजेन्सी को देगा और ना ही किसी को आगे हस्तान्तरित करेगा।

4 उपरोक्त दरें प्रस्तुत करते समय टेण्डर राशि की 2 प्रतिशत राशि डीडी या नकद निगम के खाते में धरोहर राशि के रूप में जमा कराना होगा एवं कार्यादेश प्राप्ति के बाद कुल कार्यादेश की राशि का 5 प्रतिशत निगम के खाते में जमानत राशि के रूप में जमा कराना होगा तथा जमानत राशि कार्य के संतोषप्रद कार्यावधि समाप्त होने पर निगम द्वारा लौटा दी जायेगी।

5 फर्म द्वारा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ के कोने पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिये।

6 निगम द्वारा स्वीकृत फर्म को कार्य आदेश के पश्चात् 15 दिवस में एक करार निष्पादित करना होगा, जो कि रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होगा।

7 शर्तो एवं नियमों को भंग करने या ठेके का कार्य संतोषजनक रूप से नहीं पाये जाने पर धरोहर राशि निगम द्वारा पूर्णतः जब्त की जा सकती है।

8 निगम के परिसर में किसी प्रकार की विधुत खराबी को ठेकेदार को ठीक करना होगा जैसे ट्यूब लाईट चॉक बदलना, नई ट्यूब लाईट, धण्टी, पंखा विधुत लाइन में खराबी को ठीक करना होगा विधुत उपकरणों जैसे हीटर, पंखा कूलर आदि में कोई खराबी आ जावें तो ठीक करना होगा इसमें कोई पार्ट, मोटर वाईडिंग आदि लगाना हो वह निगम के द्वारा उपलब्ध करा दिया जावेगा।

9 आपको अपना एक प्रशिक्षित कर्मचारी प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक कार्यालय में रखना होगा जिससे किसी भी प्रकार के विधुत अवरोध होने पर वह उसे ठीक कर सकें एवं उसके पास कम से कम वायरमैन का लाईसेंस होना चाहिए।

10 विधुत रख–रखाव में काम आने वाले आधुनिक उपकरण आपको अपने कर्मचारी को उपलब्ध कराने होगें। अगर कोई मेजर फाल्ट होगा तो उसे निगम द्वारा अपने खर्च पर ठीक करवाया जावेगा।

11 किसी दिन विधुत/विधुत उपकरण में कोई रूकावट आने पर समय पर ठीक नही होने की अवस्था में आपके मासिक ठेके की रकम में से रूपये 500/– प्रतिदिन काटे जा सकते है।

12 कार्य के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई दुर्धटना होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

13 बिजली के रख–रखाव का बिल मासिक तौर पर देना होगा एवं इसका भुगतान कार्य के संतोषजनक पाये जाने पर प्रतिमाह के आधार पर किया जायेगा।

14 अनुबन्ध दो वर्ष के लिए मान्य होगा तथा निगम को यह अधिकार होगा कि वह इसे घटा बढ़ा सकता है।

15 शर्तो एवं नियमो को भंग करने पर या ठेके का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध बिना किसी सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा एवं धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

16 निगम को बिना किसी कारण बताएं उक्त निविदा को अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा।

17 दोनो पक्षों में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निगम के प्रबन्ध निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा।

18 सभी शर्तें आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अधीन लागू होंगी।

19 उपरोक्त सभी शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गई है तथा मुझे स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर मोहर
दिनांकः